संचिका सं0–10/अनु०–05–01/2008- 455 (7)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण, भा.प्र.से.
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक- 29/12/2025

विषयः— वित्तीय वर्ष 2016–17 में मुंगेर जिलान्तर्गत अनुमंडलीय अस्पताल, हवेली खड़गपुर के भवन निर्माण कार्य हेतु रु० 11,80,34,000/–(रुपये ग्यारह करोड़ अस्सी लाख चौतीस हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2025–26 में पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रु० 14,12,59,447/–(रुपये चौदह करोड़ बारह लाख उनसठ हजार चार सौ सैतालीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ अतिरिक्त राशि रू० 2,32,25,447 मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य महाप्रबंधक (परि०), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के पत्राक–393, दिनांक–19.05.2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य के 7 (सात) अनुमडलीय अस्पताल यथा मढौरा (सारण), बेलसंड (सीतामढी), महनार (वैशाली), बेनीपट्टी (मधुबनी), तेघडा (बेगुसराय), बखरी (बेगुसराय) एव हवेली खडगपुर (मुंगेर) 100 शैय्या वाला भवन निर्माण (प्रथम फेज में 40–50 शैय्या का निर्माण) हेतु विभिन्न दरों पर परामर्शी शुल्क रहित कुल रु० 91,32,16,000/– (रुपये एकानवे करोड बत्तीस लाख सोलह हजार) मात्र की योजना की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति विभागीय पत्रांक–258(10), दिनाक–06.03.2017 द्वारा प्रदान की गयी थी, जिसमें अनुमडलीय अस्पताल, हवेली खडगपुर (मुंगेर) के भवन निर्माण कार्य हेतु रु० 11,80,34,000/–(रुपये ग्यारह करोड़ अस्सी लाख चौतीस हजार) मात्र का योजना भी शामिल है।

2— प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के पत्राक–10168, दिनांक– 19.12.2025 द्वारा पूर्व में प्राप्त प्राक्कलन को संशोधित करते हुए कार्य के Scope में परिवर्तन किया गया है, जिसके अन्तर्गत भवन निर्माण के अतिरिक्त Medical Gas Pipeline System (MGPS), O.T., HVAC, फर्नीचर MGPS,UPS & Lift इत्यादि मदों का अतिरिक्त कार्य कराया जाना है । जिसकारण प्राक्कलन में पुनरीक्षित किये जाने आवश्यकता इनके द्वारा की गयी है । उक्त प्रस्तावित कार्य हेतु कुल राशि रु० 14,12,59,447/–(रुपये चौदह करोड़ बारह लाख उनसठ हजार चार सौ सैतालीस) मात्र का पुनरीक्षित प्राक्कलन निगम के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इसमें रू0 14,12,59,447–11,80,34,000= 2,32,25,447/– (रूपये दो करोड़ बत्तीस लाख पच्चीस हजार चार सौ सैतालीस) मात्र का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है।

3— तद्क्रम में सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2016–17 में मुंगेर जिलान्तर्गत अनुमंडलीय अस्पताल, हवेली खडगपुर के भवन निर्माण कार्य हेतु रु० 11,80,34,000/–(रुपये ग्यारह करोड अस्सी लाख चौतीस हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2025–26 में पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रु० 14,12,59,447/–(रुपये चौदह करोड़ बारह लाख उनसठ हजार चार सौ सैतालीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ अतिरिक्त राशि रू० 2,32,25,447 मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4— उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना (BMSIC) के द्वारा कराया जायेगा। कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओ को ध्यान में रखा जायगाः—

(i) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी संतुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि सबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नही कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।

(ii) यह कार्य तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कार्य कराया जायेगा ।

(iii) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।

(iv) कार्य का सघन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा ताकि कार्य की गुणवत्ता बनी रहे।

(v) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हो, यह सुनिश्चित कराया जायेगा।

(vi) निगम द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाय।

5– उक्त कार्य मांग संख्या–20 के अन्तर्गत, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष–0113–जिला एवं अनुमंडलीय अस्पताल, भवनों का निर्माण, जीर्णोद्धार, विपत्र कोड–20-421001110013, विषय शीर्ष–(53 01) मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6– अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID-----में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

7– बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण (Plus-Minus Memoranda)ज्ञापन तथा व्यय के सुसगत भाउचर्स/उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ ससमय कोषागार के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे तथा एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे ।

8– यह व्ययादेश वित्त विभागीय परिपत्र सं0–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998, 2419/वि0(2) दिनाक–05.04.2007, 8593/वि0(2) दिनांक–27.11.2007, 96/वि0(2) दिनांक–03.01.2008, 3923/वि0(2) दिनांक–09.04.2010 एवं 12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

9– प्रस्ताव एव प्रारूप मे सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है ।

10– स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–10/अनु०–05–01/2008 के पृष्ठ– /टि० मे प्राप्त है।

11– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी ।

12– यह मात्र स्वीकृत्यादेश है आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा ।

13– **संबंधित राशि की निकासी में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शंभु शरण) 29.12.25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:– 455 (7) /स्वा0, पटना, दिनाक– 29/12/2025

प्रतिलिपि–योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, शेखपुरा, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, तिरहुत प्रमंडल, मुंगेर/सिविल सर्जन, मुंगेर/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

29.12.25

सरकार के अपर सचिव ।